संख्या 109/XXIV-3/08/02(20)/2007 T.C.

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 14 मार्च,2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर के अधिष्ठान में वेतनादि मदों एवं अन्य व्यय में आवश्यकता से न्यून धनराशि होने के कारण पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: अर्थ–1/55167/5क(14)/01/2007–08, दिनांक 09 जनवरी,2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से **आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 998 हजार** (रू0 नौ लाख अट्ठानवें हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी भी ऐसी मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(5) आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत की जा रही धनराशि को नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित योजनाओं में आबंटित परिव्यय की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखे जाने का दायित्व शिक्षा निदेशक का होगा।

क्रमशः.....2

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा के अधीन संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार–शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–487(NP)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2008, दिनांक 07 मार्च,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–बी0एम0–15

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्या 109(1)/XXIV-3/08/02(20)/2007 T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
6– अपर शिक्षा निदेशक, कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
7– जिलाधिकारी, नैनीताल।
8– कोषाधिकारी, नैनीताल।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
10– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12– कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड सचिवालय।
13– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव

प्रपत्र–दी एम.–15

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

(पैरा–156)

प्रशासकीय विभाग–माध्यमिक शिक्षा

वित्तीय वर्ष–2007–2008

अनुदान संख्या – 11 आयोजनेतर

(धनराशि हजार रूपये में)

| बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण | मानक मदवार अध्यायधिक व्यय | वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष सरप्लस धनराशि | लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि | पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2202–सामान्य शिक्षा | | | | 2202–सामान्य शिक्षा | | | मानक मद 11–लेखन सामग्री में धनराशि की बचत है जबकि मानक मद 42–अन्य व्यय–सभा परिषद में कार्मिकों की संख्या में वृद्धि के कारण वेतनादि भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। |
| 02–माध्यमिक शिक्षा | | | | 02–माध्यमिक शिक्षा | | | |
| 108–परीक्षाएँ | | | | 108 परीक्षाएँ | | | |
| 04–माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान | | | | 03–माध्यमिक शिक्षा परिषद | | | |
| | | | | 42–अन्य व्यय 300 | 3800 | | |
| 11–लेखन सामग्री और फार्म की छपाई 12000 | 2739 | 7963 | 1298 | 04–माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान | | 10702 | |
| | | | | 01–वेतन 580 | 6580 | | |
| | | | | 03–महंगाई भत्ता 185 | 3785 | | |
| | | | | 05–स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता 88 | 138 | | |
| | | | | 48–महंगाई वेतन 145 | 3145 | | |
| सम्पूर्ण योग :– 12000 | 2739 | 7963 | 1298 | सम्पूर्ण योग :– 998 1298 | 17448 | 10702 | |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी0एल0शाह)

उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3

संख्या–487(1)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2008
देहरादून:दिनांक 07 मार्च फरवरी,2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एस.एम.पन्त)
(एन0एन0थपलियाल)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–109(1)/XXIV-3/2008/02(20)/2007 T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
3–वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव